

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(14)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 13-02-25

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री राम बिलास साहू अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर/ 1085/04) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, नैनवां जिला बून्दी में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, नैनवां जिला बून्दी के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री ओम प्रकाश गुर्जर, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, नैनवां जिला बून्दी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


अ.

(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को रूपनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1 प्रमुख सचिव, गान्धीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट राहायक, गान्धीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 गृहसचिवका, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता गय अतिरिक्त गहाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 रांवधित न्यायालय।
- 9 रांवधित जिला कलकर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केंद्रीय गुदणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 एनालिस्ट कग प्रोग्राम, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा) 13-02-25
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण